न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 103/2020

प्रार्थीगण :–

1. पुखराज उर्फ पुखाराम पुत्र मांगाराम जाति भील निवासी तिरसिंगडी सोढा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पपाराम पुत्र मांगाराम
2. रतनाराम पुत्र मांगाराम
3. सताराम पुत्र मांगाराम
4. धनकी देवी बेवा मांगाराम जाति भील निवासी तिरसिंगडी सोढा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
5. शिवाराम पुत्र भीखदास जाति भील निवासी तिसिंगडी सोढा हाल निवासी वागावार ढूंढाली तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा जिला बाडमेर ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्

अधिवक्तागण :– 1.श्री ओम सिह राजपुरोहित प्रार्थीगण वकील
2.श्री कपिल माली 1 ता 4 विप्रार्थीगण वकील
3.डूंगरसिंह नामा 5 विप्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 05.05.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी का खातेदारी खेत सरहद मौजा तिरसिंगडी सोढा पटवार हल्का नेवरी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर के खसरा संख्या 679/215 रकबा 34 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि अभिलेख में दर्ज है ।जिसका मूल खसरा संख्या 215 था जिसको वर्ष 2010 में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आपसी सहमति से बंटवाडा कर खसरा संख्या 679/215 रकबा 34 बीघा प्रार्थी एवं विप्रार्थीग्ण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज किया एवं खसरा संख्या 680/215 रकबा 16–19 बीघा किस्म बा.दो, विप्रार्थी संख्या 5 के नाम दर्ज किया गया। [illegible] म्युटेशन में इन्द्राज कर नक्शा बनाया गया। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के साथ विप्रार्थी संख्या 5 बंटवाडा को लेकर बरसात के वक्त लडाई –झगडा करता रहता था [illegible] झगडे को खत्म करने के लिये जब गांव में वर्ष 2010 में राजस्व कैम्प लगा तब प्रशासन गांवो क संग अभियान में सभी पक्षकारों की सहमति से उपखण्ड अधिकारी गांवों के संग अभियान में सभी पक्षकारों की सहमति से उपखण्ड अधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार पचपदरा द्वारा आपस में बंटवाडा कर प्रार्थी एव विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को सरहद ढूंढाली के लगता बदिशा उत्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:29:44 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

का खेत बंटवाडा मे प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता व पति मांगाराम को सुमक्त रूप से बंटवाडा मे दिया गया जिसके खसरा संख्या 679/215 है तथा विप्रार्थी संख्या 5 को बदिशा दक्षिण हिस्से का खेत खसरा संख्या 680/215 दिया गया, उसी अनुसार तहसीलदार पचपदरा द्वारा नक्शा बनाकर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर कर सहमति से बंटवाडा किया गया। इस प्रकार बंटवाडा करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत के बदिशा पश्चिमी हिस्से में बरसात के समय बांध (बांध) बनाया हुआ होने के कारण आधे खेत में पानी भरा रहता है. इस कारण बंटवाडा कर उतरी हिस्सा प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को व दक्षिणी हिस्सा विप्रार्थी संख्या 5 को बंट में दिया गया। उसी अनुसार प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण ने खसरा संख्या 216 के लगते दोनो पक्षों ने अपनी अपनी ढाणियां बनाकर काश्त करते आ रहे है जो आज रोज तक उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। विप्रार्थी संख्या 5 व हल्का पटवारी ने मिलकर बाले-बाले प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 से छिपाकर मुआवजा प्राप्त करने की नियत से तरमीम में संशोधन कर पूर्व की गयी तरमीम को निरस्त कर अपनी मनमर्जी से प्रार्थी व विप्रार्थीगण सांख्या 1 ता 4 को पानी के भराव क्षेत्र में खसरा संख्या 832/215 व 679/215 जमीन तरमीम में दर्शा दी एवं विप्रार्थी संख्या 5 ने अपने हिस्से में खसरा नं 680/215 व 834/215 रख ली। उक्त तरमीम प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को जानकारी दिये बगेर गलत की गयी, जिसको माफिक कब्जा काश्त रकबा के अनुसार तरमीम शुद्वि/दुरूत करने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस भिजवाये गये। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने दिनांक 27.8.2020 को जबाब पेश कर जाहिर किया की वर्ष 2010 में प्रशासन गांवो के संग अभियान में किये गये आपसी सहमति से बंटवाडा के अनुसार ही हम विप्रार्थीगण व प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है, उसी अनुसार नक्शे में दुरूस्त किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है । तहसीलदार कल्याणपुर को दिनांक 24.03.2022 को मौका रिपोर्ट कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट करने हेतु तहरीर जारी की गयी । तहसीलदार कल्याणपुर से पालना रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ/2022/450 दिनांक 4.04.2022 को प्राप्त हुई । उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के ग्रम तिरसिंगडी सोढा के लट्ठा ट्रेस में डीआईएलआरएमपी योजना अन्तर्गत वन-टू-वन मैपिग हेतु तरमीम करते समय भूल (सहवन) से विभाजन प्रस्ताव के नजरिया नक्शा मुताबिक न होकर दोनो खसरान 679/215, 680/215 की तरमीम खसरा संख्या [illegible] से 216 की दिशा में कर दी गई है। जिसमे से खसरा संख्या 214 व [illegible] की तरफ खसरा 679/215 व खसरा संख्या 190 व 216 की तरफ खसरा संख्या 680/215 [illegible] की गई । पक्षकारान आस पडौस में पूछताछ करने पर बताया की दोनो खसरान के खातेदारों का कब्जा काश्त भी विभाजन प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शा मुताबिक ही करते है। तथा वर्तमान में मौके पर दोंनो खसरान में किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:29:44 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की बहस सुनी गई व तहसीलदार कल्याणपुर की मौका रिपोर्ट व पत्रावली मे प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त प्रार्थी के खातेदारी खेत कब्जा काश्त भी विभाजन प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शा मुताबिक ही करते है। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने भी वर्ष 2010 में प्रशासन गांवो के संग अभियान में किये गये आपसी सहमति से बंटवाडा के अनुसार ही हम विप्रार्थीगण व प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है, उसी अनुसार नक्शे में दुरूस्त किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है । अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरहद मौजा तिरसिंगडी सोढा पटवार हल्का नेवरी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील कल्याणपुर, जिला बाडमेर के खसरा संख्या 679/215 रकबा 34 बीघा भूमि का पक्षकारन द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा वर्ष 2010 में करवाया गया था, जिसके अनुसार विभाजन के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन नक्शा के मुताबिक लट्ठा ट्रेस में तरमीम की तहसीलदार कल्याणपुर स्वंय जांच करें अगर तरमीम विभाजन प्रस्ताव अनुरूप नहीं हो तो मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दुरूस्त की जावें।

(नरेश सोनी)
भू अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:29:44 IST
Reason: SelfAttested